दिनांक 26.05.2021
प्रेस विज्ञप्ति 26/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद आजमगढ़/थाना अहरौला/थाना पवई</u>

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 26.05.2021 को थाना अहरौला व थाना पवई की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम फुलवरिया से पुरस्कार घोषित अभियुक्त संजय कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर अवैध देशी शराब, काफी संख्या में शीशी, रैपर व ढक्कन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है तथा डी–74 गैंग का सक्रिय सदस्य है, जिसके विरूद्ध जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानो में धोखाधडी के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना पवई पर पंजीकृत मु0अ0सं0 58/2021 धारा 419/420/272/273/120बी भादवि व 60(ए) आबकारी अधिनियम व मु0अ0सं0 59/2021 धारा 419/420/467/468/471/272/273 भादवि व 60(ए) आबकारी अधिनियम में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अहरौला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–संजय कुमार निवासी छाछू मुहल्ला थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

<u>बरामदगी</u>

1–10 लीटर अवैध देशी शराब।

2– काफी संख्या में शीशी, रैपर व ढक्कन।

3–01 मोटर साइकिल।

जनपद आगरा/थाना न्यू आगरा

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 26.05.2021 को थाना न्यू आगरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुगल रोड देशी शराब ठेके के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त छोटेलाल को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद आगरा के थाना कमलानगर पर हत्या, हत्या का प्रयास व गैंगेस्टर एक्ट के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कमलानगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 80/2021 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना न्यू आगरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—छोटेलाल निवासी 27 पुष्पांजलिपुरम फेस—3 थाना ताजगंज जनपद आगरा।

जनपद जालौन/थाना कोतवाली कालपी

- **12 हजार 500 रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 04 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 26.05.2021 को थाना कोतवाली कालपी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शेल्टर होम के पास रोड से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त 1—सन्तराम उर्फ मंगल 2—खुर्शीद आलम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 04 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जो जनपद के आस–पास के थाना क्षेत्रो से वाहन चोरी कर कम दामों में बेच देते हैं। गिरफ्तार अभियुक्त खुर्शीद आलम गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 12 हजार 500 रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली कालपी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सन्तराम उर्फ मंगल निवासी पिरायां थाना आटा जनपद जालौन।

2–खुर्शीद आलम निवासी ग्राम गिलोली थाना कालपी जनपद जालौन।

जनपद मथुरा/थाना कोसीकलां

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के लगभग 30 लाख रूपये कीमत की 127 कट्टा सुपारी**
- **01 ट्रक**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 25.05.2021 की रात्रि थाना कोसीकलां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ईदगाह तिराहा एनएच–2 हाईवे पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त 1–शौकत 2–योगेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के लगभग 30 लाख रूपये कीमत की 127 कट्टा सुपारी, 01 ट्रक, 01 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि थाना कोसीकलां क्षेत्रान्तर्गत हुई लूट की घटना के सम्बन्ध में थाना कोसीकलां पर मु0अ0सं0 350/2021 धारा 392/342/406/420 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी/माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे, गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद सुपारी उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोसीकलां पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शौकत निवासी धानौता ताना सीकरी भरतपुर राजस्थान।

2—योगेश कुमार निवासी सेक्टर—38 गुड़गाँव थाना सदर गुडगाँव फरीदाबाद हरियाणा

बरामदगी

1—लूट के लगभग 30 लाख रूपये कीमत की 127 कट्टा सुपारी।

2—01 ट्रक।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित कारतूस।

4—01 मोटर साइकिल।

एस0टी0एफ0—अवैध शराब तस्कर एवं गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 20,000/— रूपये के ईनामी अपराधी को एस०टी०एफ० ने जनपद-मुरादाबाद से किया गिरफ्तार।

दिनांक 25—05—2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को रू0 20,000/— का पुरस्कार घोषित वांछित अपराधी बंटी सैनी पुत्र रामचरन सैनी नि0 वलदेवपुरी बसंत बिहार थाना—कटघर, मुरादाबाद को जनपद मुरादाबाद से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः

बंटी सैनी पुत्र रामचरन सैनी नि0 वलदेवपुरी बसंत बिहार थाना—कटघर, मुरादाबाद।

बरामदगीः—

1— 01 अदद तंमचा 315 वोर

2— 01 अदद 315 बोर जिंदा कारतूस

3— 01 अदद मोटर साईकिल सीडी0डीलक्स न0ः— यू0पी021—सी0ए0 7184

4— 01 अदद सैमसंग मोबाईल

5— रू0 2600/—रूपये नकद।

<u>गिरफ्तारी का स्थानः—</u>

स्थानः— रामगंगा पुल के पास थाना—कटघर, जनपद—मुरादाबाद। दिनांक 25.05. 2021

समयः— 23.30 बजे।

विगत काफी दिनों से पश्चिमी उ0प्र0 के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देना एवं अवैध शराब की तस्करी करने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 के विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में एसटीएफ फील्ड इकाई, बरेली द्वारा भी अभिसूचना संकलन किया जा रहा था। अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 25.05.2021 को मुखबिर खास से प्राप्त सूचना पर निरीक्षक अजय पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि श्री राघवेन्द्र सिंह, मु0आ0 नितिन की एक टीम गठित कर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान के लिये रवाना हुये और जनपद मुरादाबाद पुलिस के साथ जानकारी साझा करते हुये एक संयुक्त आपरेशन मे वांछित/रू0 20 हजार के इनामी अपराधी बंटी सैनी को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि वह एल्कोहल से अवैध शराब बनाने और शराब की बोतलों की नकली पैकिगं एवं शराब की बोतलों पर अवैध बार कोड बनाने का काम करता है। इस काम में वह कई बार जेल भी जा चुका है। यह थाना—सिविल लाईन, जनपद मुरादाबाद मे दिनांक 08.02.2021 को अपने साथी संजय सिंह, मनवीर सिंह, प्रेम सिंह, गुरूदेव सिंह, मंजीत, रमेश सैनी व अमर सिंह के साथ अगवानपुर चौराहे के पास 30 हजार ली0 ई0एन0ए0 के साथ गिरफ्तार हुआ था। जिसके विरूद्ध थाना सिविल लाईन मुरादाबाद में मु0अ0सं0 119/2021 धारा 411, 413, भादवि

व 60, 63, 68, 72 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें इसकी एवं इसके कुछ साथियों की जमानत भी हो गई थी। इसके विरूद्ध थाना सिविल लाईन, मुरादाबाद में पंजीकृत मु0अ0सं0 362/2021 धारा 3 (1) गै0एक्ट का भी अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसमें यह वांछित था और इसके गिरफ्तारी हेतु रू0 20 हजार का पुरस्कार घोषित था। जिसमें यह अपने गिरफ्तारी से बचने के लिये इधर–उधर भाग रहा था। साथ ही यह भी ज्ञात हुआ है कि इसके विरूद्ध थाना गंज, जनपद–रामपुर में भी गैगेस्टर का अभियोग पंजीकृत है। यह अपने साथियों के साथ मिलकर काफी समय से एल्कोहल से शराब बनाकर तस्करी के धन्धे में लिप्त था।

गिरफ्तार अभियुक्त बन्टी सैनी के विरूद्ध मु0अ0सं0 247/2021 धारा 3/25 आर्म्स अधिनियम में थाना–कटघर मुरादाबाद में पंजीकृत कराकर दाखिल किया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त बन्टी सैनी का ज्ञात अपराधिक इतिहासः</u>

क्र0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	281/14	60 आबकारी अधि0	कटघर	मुरादाबाद
2	142/15	60 आबकारी अधि0	कुदरकी	मुरादाबाद
3	726/15	272, 419, 420, 468 भादवि0 60 (2)/62 आबकारी अधि0	कटघर	मुरादाबाद
4	1353/16	272, 273 भादवि0 60 आबकारी अधि0	कटघर	मुरादाबाद
5	361/17	2/3 गुण्डा अधि0	कटघर	मुरादाबाद
6	487/17	3 (1) गै0एक्ट	कटघर	मुरादाबाद
7	169/18	60, 63 आबकारी अधि0	कटघर	मुरादाबाद
8	414/20	60 आवकारी अधि0 व 272 भा0द0वि0	गंज	रामपुर
9	119/21	411/413 भा0द0वि0,60,63,68,72 आबकारी अधिनियम	सिविल लाईन	मुरादाबाद
10	143/21	3(1)गै0एक्ट	गंज	रामपुर
11	247/21	धारा 3/25 आर्म्स अधिनियम	थाना–कटघर	मुरादाबाद
12	362/21	3(1)गै0एक्ट	सिविल लाईन	मुरादाबाद

एसटीएफः अवैध मादक पदार्थ की सप्लाई करने वाला एवं नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के केस संख्याः 03/2021 में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 26–05–2021 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को, विभिन्न राज्यों से अवैध मादक पदार्थ (गांजा) मंगाकर जनपद प्रयागराज व आस पास के जनपदों में सप्लाई करने वाले/एनसीबी के केस संख्या 03/2021 में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1– प्रदीप केसरवानी पुत्र स्व0 ठाकुरदीन नि0 156, गंगोत्री नगर, थाना नैनी, प्रयागराज।

बरामदगीः

1– 01 अदद आधार कार्ड।

2– 02 अदद मोबाईल फोन।

3– रू0 1,800/– नकद।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समयः–

दिनांक 26–05–2021 समय 06.00 बजे बैरहना प्रयागराज।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदो में मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में निरीक्षक श्री ज्ञानेन्द्र कुमार राय के नेतृत्व में एसटीएफ, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा दिनांक 12–01–2021 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर (उड़ीसा से) अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्य राम सिंह ननका पुत्र अर्जुन निवासी–26/10/58 लालबिहारा, बमरौली थाना धूमनगंज, प्रयागराज एवं संजय सिंह पटेल लल्लू पुत्र–ज्ञानचंद्र पटेल, निवासी–नयापुरवा, थाना–सोराव, प्रयागराज को राबर्ट्सगंज, सोनभद्र से लगभग 10.62 कुन्तल गॉजा एवं परिवहन में प्रयुक्त ट्रक के साथ गिरफ्तार किया गया था। जिनसे पूछताछ पर ज्ञात हुआ था कि बरामद गॉजा उड़ीसा के

बलनगीर से लाया जा रहा था, जिसे प्रदीप केसरवानी पुत्र ठाकुरदीन गंगोत्री नगर, नैनी, प्रयागराज के प्रदीप ने मँगाया था। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा कई बार उड़ीसा से गांजा लाकर प्रदीप उपरोक्त को दिया गया था, जिसके विरूद्ध एनसीबी के केस संख्याः मु0अ0सं0 03/2021 धारा 8/20/29/60(3) एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसकी विवचेना एनसीबी लखनऊ द्वारा की जा रही थी। इस अभियोग में वांछित प्रदीप केसरवानी के गिरफ्तारी में एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ से सहयोग मॉगा गया था। जिसके क्रम में निरीक्षक श्री ज्ञानेन्द्र कुमार राय, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के नेतृत्व में उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह यादव, मु0आ0 शमशेर, आरक्षी उमाशंकर, आरक्षी भूपेंद्र सिंह की एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि अवैध मादक पदार्थ की सप्लाई करने वाला एवं एनसीबी के एक मुकदमें में वांछित अभियुक्त प्रदीप केसरवानी प्रयागराज के विभिन्न स्थानों पर छिपकर रह रहा है। इस सूचना पर आज दिनांक 26.05.2021 को एसटीएफ टीम एनसीबी के विवेचक श्री अरविन्द ओझा की टीम के साथ अभियुक्त प्रदीप केसरवानी को प्रयागराज शहर के बैरहना क्षेत्र से प्रातः 06.00 बजे गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरादगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त कई वर्षो से उड़ीसा व आन्ध्र प्रदेश से अवैध मादक पदार्थ (गांजा) मंगाकर जनपद प्रयागराज व आस–पास के जनपदों में फुटकर सप्लाई करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त को विवेचक द्वारा जनपद न्यायालय सोनभद्र के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>एसटीएफः जनपद गाजीपुर से रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी गंगा यादव गिरफ्तार।</u>

दिनाक 26–05–2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद गाजीपुर से रू0 25,000/– के पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी गंगा यादव को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u>:–

गंगा यादव पुत्र स्व0 भगवान दास यादव निवासी बघरा, थाना तरवॉ, जनपद आजमगढ़।

<u>बरामदगी का विवरण</u>:–

01– 01 अदद सुपर स्पलेण्डर मोटरसाइकिल।

<u>गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक</u>:–

ग्राम घटारो के पास थाना भुडकुडा जनपद गाजीपुर। दिनांक 26–05–2021

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनाएं प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में एसटीएफ फील्ड यूनिट वाराणसी द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी की टीम द्वारा जनपद गाजीपुर में धरातलीय स्तर पर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी कि विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि जनपद आजमगढ के थाना तरवॉ क्षेत्र का रहने वाला तथा थाना भुडकुडा जनपद गाजीपुर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गंगा यादव ग्राम घटारो के पास खड़ा है और किसी के आने का इन्तजार कर रहा है, यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम ने

विश्वस्त सूत्र द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर गंगा यादव उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त गंगा यादव पूछताछ में बताया कि वह ग्राम बघरा थाना तरवॉ जनपद आजमगढ का रहने वाला है तथा अपने दबंगई के बल पर पूर्व में ग्राम प्रधान रह चुका है। इसका एक अपराधिक गैंग है। यह अपने गैंग के साथ मिलकर फिरौती हेतु अपहरण, रंगदारी, लूट व मारपीट आदि की घटना कारित करता है। वष–2013 में अपने गैंग के साथ मिलकर जनपद मिर्जापुर के रहने वाले जूता व्यापारी अमित गुप्ता का फिरौती हेतु अपहरण किया था और 50 लाख रूपये की फिरौती मॉगा था, परन्तु फिरौती मॉगने के दौरान ही थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर पुलिस द्वारा अपहृत अमित गुप्ता सहित इसे पकड़ लिया गया था। जेल से छूटने के बाद अपने गैंग के साथ मिलकर लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। ग्राम घटारो थाना भुडकुडा जनपद गाजीपुर का रहने वाला विरेन्द्र यादव इसका मित्र था और अभी विगत में सम्पन्न हुये प्रधानी चुनाव को लेकर विरेन्द्र यादव का गांव के अमित राम से रंजिश चल रही थी। इन लोगों ने अमित राम को जान से मारने के लिये उसके ऊपर 04–05 फायर किये परन्तु वह बाल–बाल बच गया। इस संबंध में थाना भुडकुडा पर मु0अ0सं0 56/2021 धारा 307/504/342 भादवि व 07 सीएलए एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत हुआ था, जिसमें यह वॉछित था एवं इसके गिरफ्तारी हेतु रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित हुआ था तभी से यह फरार चल रहा था। आज यह अपने गैंग के एक साथी से मिलने के लिये आया था। उल्लेखनीय है कि इसके विरूद्ध आजमगढ़ सहित अन्य जनपदों में लगभग दो दर्जन मुकदमें पंजीकृत हैं।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त को मु0अ0सं0 56/2021 धारा 307/504/342 भादवि व 07 सीएलए एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर में दाखिल किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>एसटीएफः अवैध शराब तस्कर एवं गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 20,000/— रूपये के ईनामी अपराधी को एस०टी०एफ० ने जनपद-मुरादाबाद से किया गिरफ्तार।</u>

दिनांक 26—05—2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को रू0 20,000/— का पुरस्कार घोषित वांछित अपराधी संजय सिंह पुत्र नन्हू सिंह नि0 निवाड खास थाना—भगतपुर, मुरादाबाद को जनपद मुरादाबाद से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>अभियुक्त का विवरणः</u>

संजय सिंह पुत्र नन्हू सिंह नि0 निवाड खास थाना—भगतपुर, मुरादाबाद।

<u>बरामदगीः—</u>

1. 1,480/— रूपये

<u>गिरफ्तारी का स्थानः—</u>

स्थानः— ऑटो स्टैण्ड, ट्रान्सपोर्ट नगर, थाना—मझौला जनपद—मुरादाबाद।

दिनांक व समयः— 26.05.2021 व 16.10 बजे।

विगत काफी दिनों से पश्चिमी उ0प्र0 के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने एवं अवैध शराब की तस्करी करने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 के विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

जिसके अनुपालन में एसटीएफ फील्ड इकाई, बरेली द्वारा भी अभिसूचना संकलन किया जा रहा था। इसी दौरान दिनांक 25—05—2021 को निरीक्षक अजय पाल सिंह के नेतृत्व में ईनामी अपराधी बन्टी सैनी को जनपद मुरादाबाद से अवैध असलहा के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिससे ज्ञात हुआ कि उसका साथी संजय सिंह जो सिविल लाईन थाने के गैगस्टर के मुकदमें में वांछित है तथा उसके गिरफ्तारी हेतु रू0 20,000/— का पुरस्कार घोषित है। संजय सिंह अपने गॉव का ग्राम प्रधानी का चुनाव जीता है, जो आज ही सपथ लिया है और वह कहीं जाने की फिराक में है, इस जानकारी पर निरीक्षक अजय पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 राघवेन्द्र सिंह मु0आ0प्रो0 मोअज्जम अली आदि की एक टीम मझोला थाना क्षेत्र के

ऑटो स्टैण्ड से वांछित रू0 20,000/— के इनामी अपराधी संजय सिंह को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि वह अपने साथी बन्टी सैनी के साथ मिलकर एल्कोहल से अवैध शराब बनाने और शराब की बोतलो की नकली पैकिंग एवं शराब की बोतलों पर अवैध बार कोड बनाने का काम करता है। इस काम में वह कई बार जेल भी जा चुका है। थाना—सिविल लाईन, जनपद मुरादाबाद मे दिनांक 08.02.2021 को अपने साथी मनवीर सिंह, प्रेम सिंह, गुरूदेव सिंह, मंजीत, रमेश सैनी व अमर सिंह, बन्टी सैनी के साथ अगवानपुर चौराहे के पास 30 हजार लीटर ई0एन0ए0 के साथ गिरफ्तार हुआ था। जिसके विरूद्ध थाना सिविल लाईन मुरादाबाद में मु0अ0सं0 119/2021 धारा 411, 413, भादवि व 60, 63, 68, 72 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें इसकी एवं इसके कुछ साथियों की जमानत भी हो गई थी। जमानत पर छूटने के बाद मै प्रधानी का चुनाव लड़ा और जीत गया। इसके विरूद्ध थाना सिविल लाईन, मुरादाबाद में पंजीकृत मु0अ0सं0 362/2021 धारा 3 (1) गै0एक्ट का भी अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें यह वांछित था और इसके गिरफ्तारी हेतु रू0 20 हजार का पुरस्कार घोषित था। यह अपने गिरफ्तारी से बचने के लिये इधर—उधर भाग रहा था। यह लम्बे समय से बन्टी के साथ अवैध शराब के व्यापार में लिप्त था।

गिरफ्तार अभियुक्त संजय सिंह के विरूद्ध 119/2021 धारा 411, 413, भादवि व 60, 63, 68, 72 आबकारी अधि0 में थाना—सिविल लाईन मुरादाबाद में पंजीकृत है। जिसकी विवेचना थाना मझोला जनपद मुरादाबाद से की जा रही है। उक्त अभियुक्त को थाना मझोला पर दाखिल कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही थाना मझोला पुलिस द्वारा की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त संजय सिंह का ज्ञात अपराधिक इतिहासः</u>

क्र0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	119/21	411/413 भा0द0वि0,60,63,68,72 आबकारी अधिनियम	सिविल लाईन	मुरादाबाद
2	362/21	3(1)गै0एक्ट	सिविल लाईन	मुरादाबाद

—————